उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 16 | 16-31 अगस्त 2025 | ₹ 20/-

संघ प्रमुख के विचारों पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया

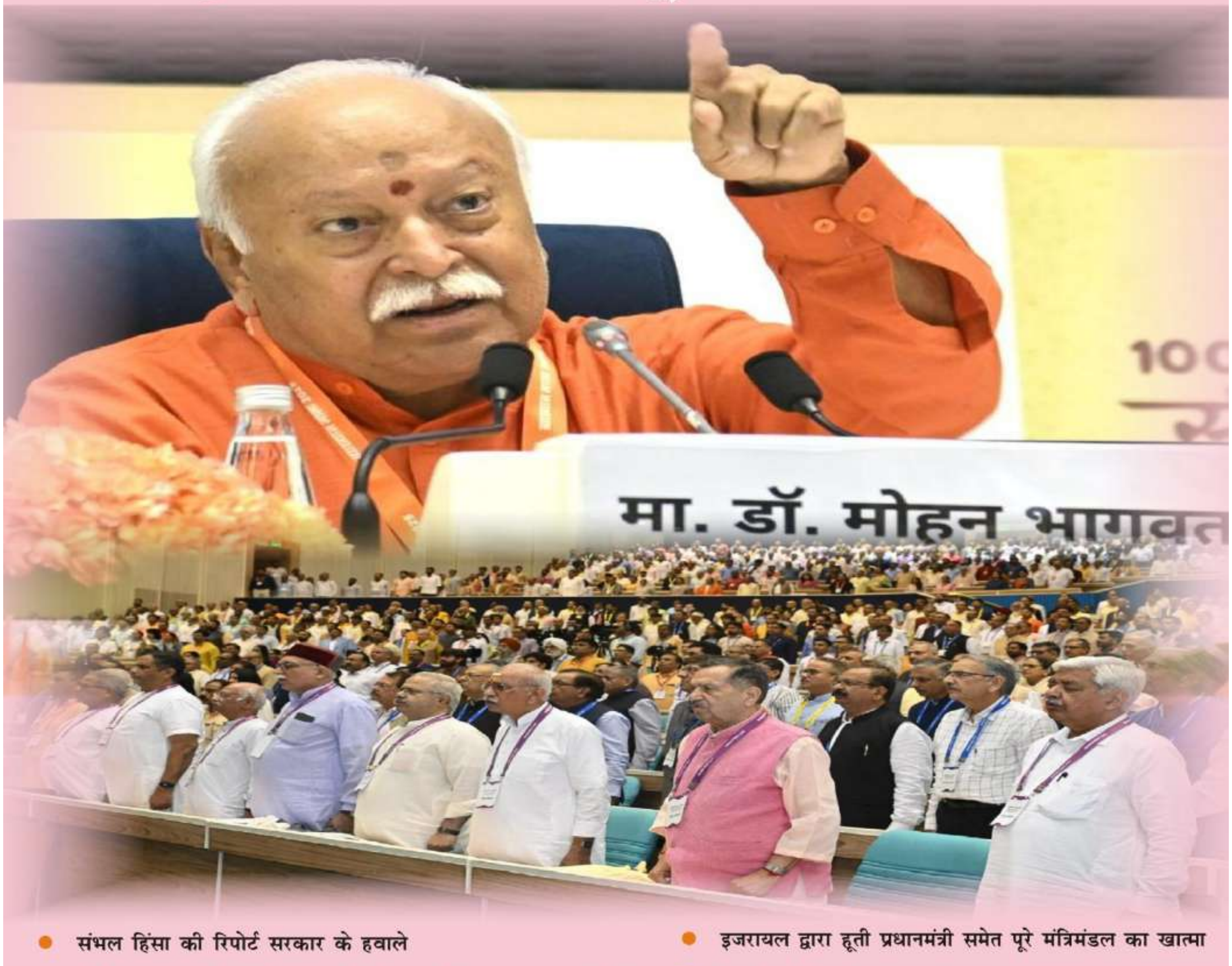

- संभल हिंसा की रिपोर्ट सरकार के हवाले
- फिलिस्तीनी राष्ट्रपति और अधिकारियों के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध
- इजरायल द्वारा हूती प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल का खात्मा
- मलेशिया में कड़े इस्लामिक कानून

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

संघ प्रमुख के विचारों पर उर्दू प्रेस की प्रतिक्रिया 04
संभल हिंसा की रिपोर्ट सरकार के हवाले 11
असम से बांग्लाभाषी मुसलमानों को बेदखल करने पर रोक 14
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सील मदरसों को खोलने का आदेश 15
16 वर्षीय मुस्लिम लड़की का निकाह जायज? 16

विश्व

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति और अधिकारियों के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध 18
अफगानिस्तान में मदरसों में लड़कियों को भेजने पर प्रतिबंध 19
बांग्लादेश में हुए नरसंहार की माफी मांगने से पाकिस्तान का इंकार 20
पाकिस्तान में आतंकवाद की ज्वाला जोरों पर 23
मलेशिया में कड़े इस्लामिक कानून 24

पश्चिम एशिया

इजरायल द्वारा हूती प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल का खात्मा 25
ओआईसी द्वारा संयुक्त राष्ट्र से इजरायल की सदस्यता रद्द करने की मांग 26
ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़े 29
फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी 30
सऊदी अरब में 20 हजार घुसपैठिए गिरफ्तार 31

सारांश

हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान भी हमारे अपने हैं और इस देश में इस्लाम को भी रहना है। हमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी सद्भाव बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का अगला लक्ष्य हर स्थान, हर मोहल्ले और हर गांव में पहुंचना है। उन्होंने स्वयंसेवकों से अपील की कि उनकी मित्र सूची में सभी धर्मों और समाज के सभी वर्गों के लोग होने चाहिए ताकि वे मिलजुलकर त्योहार मना सकें। उर्दू अखबार अपने-अपने ढंग से मोहन भागवत के उद्बोधन का विश्लेषण कर रहे हैं। कई उर्दू अखबारों ने जोर दिया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपने स्वयंसेवकों को यह संदेश देना चाहिए कि वे विशेष धर्म से संबंधित लोगों के खिलाफ नफरत का अभियान बंद कर दें।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल नवंबर महीने में संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। अब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के जो अंश मीडिया में प्रकाशित हुए हैं वे काफी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश की स्वतंत्रता के समय संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदुओं की जनसंख्या 45 प्रतिशत थी। जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 55 प्रतिशत थी। इसके बाद संभल में एक दर्जन से अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों के कारण हिंदुओं में असुरक्षा की भावना पैदा हुई और उन्होंने संभल से पलायन करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अब संभल में हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ 15 प्रतिशत ही रह गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हुई हिंसा पूर्वनियोजित थी। यहां पर दंगे की ज्वाला भड़काने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि संभल हिंसा को भड़काने में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल और जामा मस्जिद प्रबंध समिति की प्रमुख भूमिका थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि इस क्षेत्र में अलकायदा सहित कई अन्य इस्लामिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं।

इजरायल का रुख दिन-प्रतिदिन आक्रामक होता जा रहा है। उसने गाजा पर कब्जा करने का अभियान तेज कर दिया है। इजरायली मंत्रिमंडल ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। हाल ही में सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र से मांग की गई कि वह संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की सदस्यता को रद्द करे, क्योंकि वह लगातार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन कर रहा है। इजरायल ने हाल ही में यमन पर हमला करके हूती मंत्रिमंडल का खात्मा कर दिया है। इससे पहले वह हिजबुल्लाह और हमास के शीर्ष नेतृत्व को भी मौत के घाट उतार चुका है। उर्दू अखबारों ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि अधिकांश मुस्लिम देशों का इजरायल विरोध मीडिया में बयानों तक ही सीमित है। ईरान को छोड़कर अन्य किसी भी देश में इजरायल पर हमला करने की हिम्मत नहीं है। इन देशों ने गाजा के मासूम नागरिकों को इजरायल के रहमो करम पर छोड़ दिया है।

हाल ही में अमेरिका की नीति में एक नया मोड़ आया है। ट्रम्प प्रशासन ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत फिलिस्तीन के लगभग 80 अधिकारियों के अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का प्रयास है कि फिलिस्तीन के इन नेताओं को संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में शामिल होने से रोका जाए। उल्लेखनीय है कि कुछ पश्चिमी देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। यूरोपीय देशों ने अमेरिकी सरकार के इस फैसले की निंदा की है। उन्होंने ट्रम्प प्रशासन से मांग की है कि वह अपने इस फैसले को वापस ले ले।

राष्ट्रीय

संघ प्रमुख के विचारों पर उर्दू प्रेस की प्रतिक्रिया

हाल ही में दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस का तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस पर उर्दू मीडिया ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है।

इंकलाब (28 अगस्त) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर दूसरे महत्त्वपूर्ण समाचार के रूप में इस कार्यक्रम को स्थान दिया है। इसका शीर्षक है, "हिंदुस्तानी मुसलमान भी हमारे अपने हैं।" समाचारपत्र ने अपने विशेष संवाददाता अहमदुल्लाह सिद्दीकी की एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जीवन में उदारवाद और सद्भावना पर जोर देते हुए कहा है कि वास्तव में धर्म इसी का नाम है। उन्होंने कहा कि संघ का अगला लक्ष्य देश के विभिन्न वर्गों व धर्मों के अनुयायियों के बीच आपसी संपर्क और सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देना है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष व्याख्यान कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हालांकि, इस्लाम और ईसाई धर्म बाहर से आए थे, लेकिन जिन लोगों ने इन्हें स्वीकार किया वे यहीं के रहने वाले थे। ये नए धर्म विदेशी आक्रांताओं के जरिए भारतीय भूमि पर आए, लेकिन हमारा धर्म सभी को स्वीकार करता है।

भागवत ने कहा कि हमारी पूजा पद्धति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हमारे पूर्वज एक जैसे हैं और हमें इसी आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि संतुलित जीवन-यापन करने की पद्धति को ही धर्म कहते हैं। यह मध्य मार्ग और आपसी भाईचारे का रास्ता है। आज की दुनिया इसके लिए तरस रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का अगला लक्ष्य हर स्थान, हर गांव और हर मोहल्ले तक पहुंचना है। भागवत ने स्वयंसेवकों से अपील की कि उनकी मित्र सूची में समाज के सभी वर्गों और धर्मों के लोग होने चाहिए ताकि वे एक साथ मिलकर त्योहार मना सकें और सुख-दुख बांट सकें। उन्होंने कहा कि विश्व शांति और कल्याण की भावना की शुरुआत भारत से होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब हम इसकी शुरुआत अपने घर से करें।

संघ प्रमुख ने पड़ोसी देशों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भूगोल, इतिहास, नदियां और लोग सभी एक हैं। बस मानचित्र पर कुछ लकीरें खींच दी गई हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि वे भी भ्रातृभाव से प्रभावित होकर हमारे साथ संबंधों को विकसित करें। भागवत ने कहा कि जब हिंदू समाज एकजुट होगा तो विश्व शांति का भाव पैदा होगा। हमें हर जगह जाकर धर्मांतरण नहीं करना है, क्योंकि धर्म प्रकृति के अनुसार चलता है। हमें संतुलित जीवन गुजारना चाहिए और स्वयं को एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इसका अनुसरण कर सकें। सरसंघचालक ने कहा कि शुरुआत में आरएसएस का भारी विरोध हुआ था, लेकिन अब यह विरोध बहुत कम हो गया है। संघ 100 सालों की अपनी यात्रा में स्वयं को उस स्थान पर ले आया है, जहां लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। आज दुनिया के कई देश आरएसएस जैसा संगठन बनाने की इच्छा रखते हैं।

मोहन भागवत ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए नेटवर्किंग और आपसी सहयोग की आवश्यकता है। अगर समाज के सभी वर्ग एकजुट हो गए तो सामाजिक बदलाव के लिए काम करना आसान हो जाएगा। हमें सामाजिक संबंधों के मामले में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हमारी आपस में बातचीत हो तो हमें गलत परंपराओं में सुधार हेतु विचार-विमर्श करना चाहिए। हमें यह विचार करना चाहिए कि अगर कोई वर्ग कमजोर है तो उसकी सहायता के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सहयोग की भावना पैदा हो जाए तो देश में बदलाव होकर रहेगा।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को एक पांच सूत्री फॉर्मूला भी बताया। उन्होंने जोर दिया कि आरएसएस के लोगों को हर हाल में संविधान और कानून का सम्मान करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे शरारती तत्वों को उपद्रव करने का मौका मिल जाएगा। भागवत ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी अपनाने का मशवरा देते हुए कहा कि लोगों को विदेशी खाद्य पदार्थों और फास्ट फूड के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हालांकि, कभी कभार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी टैरिफ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जरूरी है, क्योंकि इससे देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलता है। हालांकि, यह किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। दोस्ती दबाव में नहीं पनप सकती। इस समारोह में इंटर-फेथ हार्मनी फाउंडेशन के प्रमुख डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जमीरुद्दीन शाह समेत एक दर्जन से अधिक मुस्लिम नेता उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त अन्य धर्मों से संबंधित महत्त्वपूर्ण लोगों ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया।

औरंगाबाद टाइम्स (29 अगस्त) के अनुसार आरएसएस के व्याख्यान कार्यक्रम के अंतिम दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75 साल के बाद राजनीति से संन्यास लेने की संभावनाओं को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा कि वे भी प्रधानमंत्री से छह दिन पहले ही 75 वर्ष की उम्र सीमा को पार कर रहे हैं। भागवत ने स्पष्ट किया कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं 75 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाऊंगा या कोई अन्य व्यक्ति 75 साल के बाद सेवानिवृत्ति ले ले। हम वही करेंगे, जो हमें संघ कहेगा। हम जीवन में किसी भी समय सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हैं। जब तक संघ चाहेगा तब तक हम काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मोरोपंत पिंगले से संबंधित एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर मेरे भाषण को मीडिया ने सही ढंग से पेश नहीं किया। मैंने 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति लेने के बारे में जो बात कही थी वह मोरोपंत जी का विचार था।

चट्टान (31 अगस्त) के अनुसार संघ प्रमुख ने लोगों को मशवरा दिया है कि उन्हें तीन बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए ताकि जनसंख्या संतुलन बरकरार रह सके। उन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रण में रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारा वजूद ही खतरे में पड़ जाए।

अवधनामा (29 अगस्त) के अनुसार धर्मांतरण की चर्चा करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह के लालच या दबाव का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस देश में अवैध रूप से आने वाले घुसपैठियों को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें समाज को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें इन घुसपैठियों को नौकरियां देने के बजाय अपने देश के मुसलमानों को नौकरियां देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा और पहचान एक है। यह भावना हर भारतीय में होनी चाहिए। हमारे रहन-सहन, भाषा और बोली अलग-अलग हो सकती है, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। जनसांख्यिकी अनुपात में बदलाव का उल्लेख करते हुए भागवत ने कहा कि इसका पहला कारण धर्मांतरण है, जो हमारी परंपरा के खिलाफ है। कुछ मुस्लिम धर्माचार्यों ने मुझसे कहा है कि जबरन धर्मांतरण इस्लाम में भी हराम है। दूसरा कारण अवैध घुसपैठ है। इसके कारण रोजगार के अवसर में कमी और सामाजिक तनाव पैदा होता है। तीसरा कारण जनसंख्या में वृद्धि दर है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने यह कभी नहीं कहा कि भारत में इस्लाम का वजूद

भारत के संविधान व कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान हिंदू संगठनों ने कहा था कि अगर मुसलमान अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर अपना दावा छोड़ दें तो वे काशी, मथुरा या अन्य किसी भी मस्जिद पर कोई नया दावा पेश नहीं करेंगे, लेकिन अब हर दरगाह और मस्जिद पर दावे किए जा रहे हैं। यह 1991 में संसद द्वारा पारित पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है।

नहीं रहेगा। मुसलमान भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं, जितने कि हम। जात-पात हमारे विकास के रास्ते में रुकावट है। हम सबका डीएनए एक है। हमें जनसांख्यिकी बदलाव पर नजर रखनी होगी, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

इंकलाब (31 अगस्त) के अनुसार मुस्लिम संगठन इमारत-ए-शरिया के पूर्व महासचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा है कि जब मोहन भागवत यह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इस्लाम इस देश में हजारों सालों से है और यह यहीं पर रहेगा तो उन्हें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि यहां पर मुसलमानों की मस्जिदें और दरगाहें भी मौजूद रहेंगी। जब मोहन भागवत यह कहते हैं कि मुसलमानों को मथुरा और काशी की मस्जिदों पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए तो वे स्वयं ही अपने बयान का खंडन करते हैं। एक ओर तो वे यह सफाई देते हैं कि आरएसएस इसके लिए कोई अभियान नहीं चलाएगा। दूसरी ओर, वे यह भी कहते हैं कि अगर कोई स्वयंसेवक इस अभियान में हिस्सा लेना चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि काशी और मथुरा पर दावा करना

सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो ने कहा है कि मोहन भागवत ने अपने बयान से मथुरा और काशी के विवाद को फिर से भड़काने की कोशिश की है। इसका लक्ष्य सांप्रदायिक भावना को भड़काकर बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना है।

कौमी भारत (2 सितंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता बशीर अहमद ने कहा है कि मोहन भागवत की कथनी और करनी में भारी अंतर है। एक ओर तो वे विभिन्न धर्मों में सद्भावना की बात करते हैं तो दूसरी ओर, भाजपा और संघ परिवार के लोगों ने मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य गैर-हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान देने का अभियान तेज कर रखा है। उन्होंने कहा कि देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू-कश्मीर को विभाजित करके उसे केंद्र के अधीन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री खुलेआम मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं और वहां पर मुसलमानों के मकानों व मस्जिदों को बुलडोजरों से ध्वस्त किया जा रहा है।

एतेमाद (31 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आरएसएस शुरु से ही मुसलमानों के खिलाफ भ्रांति फैलाता रहा है। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ यह कहकर भड़काया जा रहा है कि मुसलमान 11-11 बच्चे पैदा करके इस देश के हिंदुओं को गुलाम बनाना चाहते हैं। हालांकि, यह सफेद झूठ हैं। हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से घट रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोहन भागवत के बयान की आलोचना की है और कहा है कि वे अपने मुस्लिम विरोधी अभियान पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के झूठे बयान दे रहे हैं।

इंकलाब (29 अगस्त) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। समाचारपत्र ने कहा है कि एक ओर तो वे सामाजिक समरसता और भाईचारे का दावा करते हैं। दूसरी ओर, वे इस देश को बहुसंख्यक संस्कृति के रंग में रंगना चाहते हैं। भारत हमेशा से गंगा-जमुनी तहजीब को बढ़ावा देता रहा है। यह देश तभी मजबूत रह सकता है जब उसके हर नागरिक को यह अहसास हो कि यह धरती सबकी है। अगर कोई वर्ग यह समझे कि वह दूसरों से अलग है और उसकी विशेष पहचान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है तो इससे समाज में अविश्वास व विघटन पैदा होगा, जो विकास के रास्ते में बाधक होगा। समाचारपत्र ने कहा है कि भागवत के इस भाषण में कुछ भी नया नहीं है। वे इससे पहले भी इस तरह की बातें कह चुके हैं, लेकिन उनके दावे सिर्फ कागजी होते हैं।

तासीर (29 अगस्त) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस कार्यक्रम में 25 देशों के प्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी प्रमुख हस्तियों के शामिल होने से इसका महत्व बढ़ गया है। गौरतलब है कि आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस सिलसिले में वह विजयादशमी के दिन से देशभर में संपर्क अभियान शुरू कर रहा है। इसका लक्ष्य देश को जागरूक करना और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहन देना है। मोहन भागवत के हालिया बयान से भारत की पुरानी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की पुष्टि होती है।

समाचारपत्र ने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को इस देश पर लादा गया तो यह देश के कई वर्गों को स्वीकार्य नहीं होगा। मोहन भागवत ने यह नहीं बताया कि राष्ट्रवादियों द्वारा दूसरे धर्म की लड़कियों को विवाह के जाल में फंसाकर उन्हें इस्लाम से दूर करने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? सवाल यह भी है कि मोहन भागवत के मना करने के बावजूद देशभर की मस्जिदों व मजारों में मंदिर की तलाश करने और मुसलमानों को परेशान करने का अभियान किसके इशारे पर चल रहा है? राष्ट्रवाद और जय श्रीराम के नाम पर एक विशेष धर्म के अनुयायियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है?

रोजनामा सहारा (1 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि एक ओर तो मोहन भागवत यह घोषणा करते हैं कि संघ मथुरा और काशी के आंदोलनों में शामिल नहीं होगा। दूसरी ओर, वे स्वयंसेवकों को इनमें भाग लेने की खुली छूट देकर सांप्रदायिक माहौल को आग लगा देते हैं। यह दोहरापन कोई नया नहीं है। इसी पुरानी

नीति के तहत बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया और देश को स्थाई घाव दिया गया। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि 1992 के बाद देशभर में जितने दंगे हुए हैं उसका कारण आरएसएस और उससे संबंधित संगठनों द्वारा बनाया गया उत्तेजक माहौल है। 1991 में संसद ने धार्मिक स्थलों के संरक्षण का एक कानून पारित किया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन आरएसएस नेतृत्व ने बार-बार इस कानून की धज्जियां उड़ाई हैं।

मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमानों को काशी और मथुरा की मस्जिदें भाईचारे के लिए छोड़ देनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या यह भाईचारा जबर्दस्ती छीनकर स्थापित होगा? यह मांग खुली धमकी है कि मुसलमानों को शताब्दियों पुराने अपने धार्मिक स्थलों को छोड़ना होगा, वरना उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया जाएगा। मोहन भागवत का यह रवैया किसी राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं है, बल्कि यह विभाजन और नफरत का जहर है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख के बजाय आरएसएस के प्रचारक की भूमिका निभाई है। सरकारी आयोग बार-बार इस बात का संकेत दे चुके हैं कि इस देश में होने वाले अधिकांश दंगों में आरएसएस की भूमिका संदिग्ध है। ऐसे में प्रधानमंत्री का खुलेआम आरएसएस की प्रशंसा करना एक खतरनाक संदेश है। अगर 1992 के इतिहास को दोबारा दोहराने की कोशिश की गई तो यह इस देश के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होगी।

उर्दू टाइम्स (29 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सफाई दी है कि आरएसएस कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं रहा है, इसलिए मुसलमानों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा है कि सरकार को मुसलमानों की चिंता है और वह उन्हें विकास का समान अवसर देना चाहती है। सरकार घुसपैठियों को देश से इसलिए निकाल रही है ताकि भारतीय मुसलमानों को नौकरियों में अधिक भागीदारी मिल सके। भागवत ने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि वे हिंदुओं से संपर्क बढ़ाएं और उनसे लगातार मिलते-जुलते रहें ताकि सामाजिक सद्भावना में बढ़ोतरी हो। भागवत कभी-कभी ऐसी बातें कह जाते हैं, जिससे मुसलमान खुश हो जाता है। हालांकि, सच तो यह है कि आरएसएस की नींव ही मुस्लिम दुश्मनी पर रखी गई है। अगर मोहन भागवत की मानसिकता में बदलाव हो रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि मोदी सरकार मुसलमानों को पंचर बनाने वाला और पकौड़े तलने वाला क्यों कहती है? मोहन भागवत सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करते। जिस दिन वे इसे स्वीकार कर लेंगे उसी दिन यह समझा जाएगा कि आरएसएस का मुस्लिम विरोधी नजरिया बदल गया है।

समाचारपत्र ने कहा है कि अगर मोहन भागवत संघ के पिछले 100 सालों के इतिहास पर नजर डालें तो पता चल जाएगा कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लाठी और हथियार चलाने का प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है? हर साल शस्त्र पूजा का कार्यक्रम किस लिए होता है? मोहन भागवत यह तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं रहे हैं, लेकिन क्या वे इसका प्रमाण दे सकते हैं? आज वे मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं कि वे सामाजिक धारा में आएं। हिंदुओं से मेल-मिलाप बढ़ाएं। सवाल यह है कि मुसलमान इससे कब भागा है? मुसलमान हर मोड़ पर हिंदू भाईयों की मदद करता रहा है, लेकिन तथाकथित हिंदू संगठन मुसलमानों से सामान न खरीदने की घोषणा करते हैं। वे हिंदू मोहल्ले से मुस्लिम ठेले वालों को भगा रहे हैं। मोहन भागवत ने इस पर एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? क्या इसी तरह से समरसता को प्रोत्साहन मिलेगा? मोहन भागवत को मुसलमानों को सलाह देने से पहले हिंदू संगठनों को निर्देश देना चाहिए कि वे नफरत का बाजार तैयार करने के बजाय आपसी समरसता का माहौल बनाएं। आरएसएस को ही पहल करके नफरत की दीवार गिरानी होगी। यही मोहन भागवत की असली परीक्षा है। तभी यह समझा जाएगा कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।

कौमी तंजीम (28 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक अर्थपूर्ण बात कही है कि आखिर कब तक भगवान राम और शिव समाज और देश को बचाने के लिए आएंगे? उनके इस बयान को विश्लेषक अलग-अलग रंग दे रहे हैं। मोहन भागवत यह बार-बार दोहराते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब न तो किसी का विरोध करना और न ही किसी के साथ नाइंसाफी करना है, बल्कि समाज को साथ लेकर चलना हमारी जिम्मेवारी है। संघ प्रमुख ने कहा है कि आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद भी भारत को वह स्थान नहीं मिल सका है, जिसका वह हकदार है। उन्होंने देश के विकास के लिए सामाजिक बदलाव पर जोर दिया है।

अखबार-ए-मशरिक (28 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का हालिया भाषण और मौलानाओं से उनकी मुलाकात इस बात का संकेत है कि संघ अब नया रूप लेने की कोशिश कर रहा है, जो राष्ट्रीय एकता, साझी विरासत और सामाजिक समरसता पर आधारित है। सवाल यह है कि क्या मोहन भागवत का यह बयान सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहेगा या उसे ठोस रूप भी दिया जाएगा? अगर आरएसएस वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना साकार करना चाहता है तो उसे अपने कार्यकर्ताओं में वही समरसता और सद्भाव की भावना पैदा करनी होगी, जिसके बारे में वे भाषण दे रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमारा डीएनए एक है। सवाल यह है कि क्या संघ के दृष्टिकोण में

वास्तव में परिवर्तन हो रहा है? हकीकत यह है हिंदू राष्ट्र की कल्पना को नरम लहजे में पेश करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके विरोध की धार को कुंद किया जा सके।

समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत मुस्लिम उलेमा के साथ मुलाकात में सामाजिक समरसता पर जोर देते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। मदरसों को खत्म किया जा रहा है। भीड़ द्वारा हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिजाब और शरिया मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसे देखते हुए सामाजिक समरसता का बयान सिर्फ भाषणबाजी प्रतीत होता है। मुस्लिम चिंतक इमाम उमर अहमद इलियासी की इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बातचीत ही गलतफहमियों को दूर करने का एक मात्र रास्ता है। अगर संघ और उसका नेतृत्व इस मामले में गंभीर है तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के नफरती भाषण और हरकतों को बदलना होगा, वरना यह नौटंकी सिर्फ प्रचार तक ही सीमित रह जाएगी।

संभल हिंसा की रिपोर्ट सरकार के हवाले

कौमी भारत (29 अगस्त) के अनुसार पिछले साल संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार यह रिपोर्ट 450 पृष्ठों की है। इसमें 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के अतिरिक्त संभल में हुए पुराने दंगों का विवरण भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार 1947 में संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 45 प्रतिशत थी। जबकि मुसलमानों की कुल जनसंख्या 55 प्रतिशत थी। अब मुसलमानों की जनसंख्या बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई है और हिंदुओं की जनसंख्या घटकर सिर्फ 15 प्रतिशत रह गई है। स्वतंत्रता के बाद संभल में कुल 15 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे के दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस संबंध में 12 एफआईआर दर्ज की गई थी और 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल में हुए हर बड़े दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान

हिंदुओं को हुआ है और हर दंगे के बाद जनसंख्या का अनुपात बदला है। 2024 में हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाने की योजना पहले से ही बनाई गई थी। इसके लिए दंगाइयों को बाहर से बुलाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू बस्तियां भारी तबाही से बच गईं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संभल में अलकायदा समेत अन्य इस्लामिक आतंकवादी समूह सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अवैध हथियारों और मादक पदार्थों के तस्कर भी सक्रिय हैं। इस रिपोर्ट में तुर्क और पठानों के बीच हुए दंगों का भी उल्लेख किया गया है।

औरंगाबाद टाइम्स (1 सितंबर) के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने के कुछ घंटे के अंदर ही यह रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। इस रिपोर्ट के सिर्फ उन हिस्सों को ही लीक किया गया, जिनमें हिंसा का दोषी मुसलमानों को ठहराया गया है। इस रिपोर्ट के लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह रिपोर्ट सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए लीक की गई है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधान सचिव संजय प्रसाद ने कहा है कि यह रिपोर्ट गोपनीय है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को राज्य मंत्रिमंडल में विचारार्थ पेश किया जाएगा। इस पर विचार करने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल और जामा मस्जिद प्रबंध समिति पर हिंसा भड़काने, भीड़ इकट्ठा करने और विदेशी हथियारों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर इस खुफिया रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को लीक किए जाने की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है।

कौमी तंजीम (1 सितंबर) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि इस रिपोर्ट से देश की आंखें खुल गई हैं। उन्होंने कहा कि संभल को जिहादी अड्डा बनाने की जो साजिश की गई है उसे सहन नहीं किया जाएगा। आजादी के बाद जिहादियों के तुष्टीकरण की नीति के कारण संभल के मूल निवासियों को अपनी जान व धर्म बचाने के लिए वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा।

जानकार सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि विदेशी आक्रांताओं ने शिव मंदिर को एक मस्जिद में बदल दिया था। रिपोर्ट में संभल में विदेशी मूल के मुस्लिम तुर्कों और धर्मांतरण करने वाले देशी मुसलमानों के बीच हुई लड़ाई का भी उल्लेख है।

उर्दू टाइम्स (31 अगस्त) के अनुसार इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नवंबर 2024 में हुई हिंसा में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से अधिकांश हथियार अमेरिका के बने हुए थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने

सामाजिक धुव्रीकरण करने के लिए इस गोपनीय रिपोर्ट को लीक किया है।

इंकलाब (30 अगस्त) के अनुसार संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट के कुछ अंश मीडिया में लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में एक उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि संभल दंगों की जांच रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया गया। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के इस दावे का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और उसके सहयोगी एक विशेष धर्म के लोगों के पलायन के मुद्दे को उछालकर अपनी सरकार की विफलता पर पर्दा डालना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार राज्य के विभिन्न वर्गों में सांप्रदायिक तनाव और नफरत को बढ़ावा दे रही है।

उर्दू टाइम्स (23 अगस्त) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक संभल की जामा मस्जिद परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि मस्जिद प्रबंध समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके 19 मई 2025 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। मस्जिद प्रबंध समिति की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने अदालत में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि यह मुकदमा 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के तहत दर्ज नहीं है। अहमदी ने पूछा कि क्या निचली अदालत का आदेश पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का उल्लंघन नहीं है? इस पर न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा कि इस मामले को पूजा स्थल कानून पर विचार करने वाली संविधान पीठ को सौंप जा सकता है।

दूसरी ओर, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत को बताया कि यह मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है। इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम, 1991 लागू नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि विवादित स्थल पर मंदिर से जुड़े सबूतों को मिटाया जा रहा है, इसलिए वहां पर सर्वे कराया जाना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि यह विवाद हिंदू पक्ष की एक याचिका से शुरू हुआ। नवंबर 2024 में हिंदू पक्ष ने चंदौसी की अदालत में एक याचिका दायर करके यह दावा किया था कि इस मस्जिद का निर्माण 1526 में एक प्राचीन हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था। निचली अदालत ने इस मामले की जांच के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। इसके बाद इस क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। इस पर मस्जिद प्रबंध समिति ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सौंप दिया। 19 मई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद प्रबंध समिति की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति कानूनी थी और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की धाराएं इस मुकदमे पर लागू नहीं होतीं। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने फिर से सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक संभल की जामा मस्जिद परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

असम से बांग्लाभाषी मुसलमानों को बेदखल करने पर रोक

इंकलाब (24 अगस्त) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने असम सरकार द्वारा गोलाघाट स्थित वन विभाग की भूमि से बांग्लाभाषी मुसलमानों को बेदखल करने के अभियान पर अंतरिम रोक लगा दी है। समाचारपत्र का कहना है कि राज्य की भाजपा सरकार ने गोलाघाट जिले में दो हजार से अधिक परिवारों को बेदखल करके उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की योजना बनाई थी। राज्य सरकार का कहना है कि इन लोगों ने वन विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनके इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की इस योजना पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया था। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करने की कार्रवाई को उचित करार दिया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ पीड़ितों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि वे पिछले 70 सालों से इसी स्थान पर रह रहे हैं। अपने इस दावे के प्रमाण के रूप में उन्होंने अदालत में राशन कार्ड और बिजली बिल पेश किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मतदाता सूची में अपने और अपने माता-पिता के नाम दर्ज होने का भी दावा किया। उनका दावा है कि वे गोलाघाट के उरीयमघाट गांव के मूल निवासी हैं।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि असम में बंगाली और विशेष रूप से बांग्लाभाषी मुसलमान भाजपा के निशाने पर हैं। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया करार देकर उन्हें राज्य से निष्कासित किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जुलाई 2025 में गोलाघाट जिले के उरीयमघाट गांव के निवासियों को नोटिस दी गई थी। इस नोटिस में कहा गया था कि उन्होंने वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्हें सात दिनों के अंदर इस स्थान को खाली करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार का यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर किसी व्यक्ति को बेदखल किया जाता है तो उसे अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए और उसके पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

समाचारपत्र ने कहा है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर इस स्थान पर रह रहे लोगों को बेदखल करने का फैसला किया है। गोलाघाट में 4900 एकड़ भूमि पर तीन हजार से अधिक परिवार रह रहे हैं, जिनमें से अधिकतर बांग्लाभाषी मुसलमान हैं। असम सरकार जून और जुलाई महीने में राज्य के चार जिलों के 3500 से अधिक परिवारों को बेदखल कर चुकी है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सील मदरसों को खोलने का आदेश

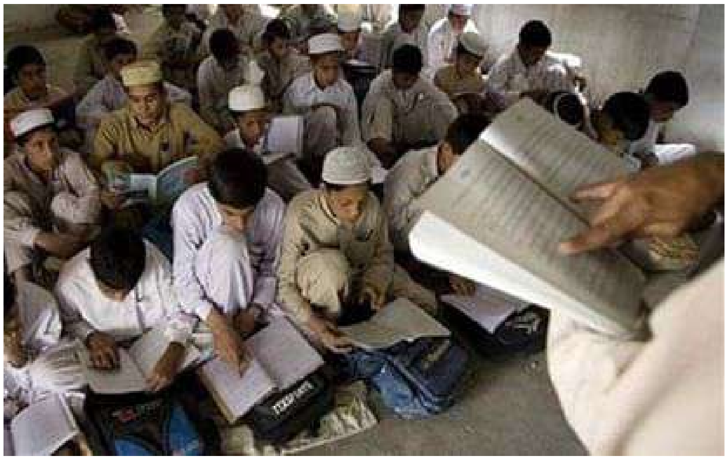

उर्दू टाइम्स (22 अगस्त) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार ने श्रावस्ती जिले के जिन 30 मदरसों को बंद कर दिया था उन्हें फौरन खोल दिया जाए और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने जमीयत उलेमा द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। इस सरकारी फैसले के खिलाफ 26 मदरसों की ओर से उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। अदालत के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि यह मदरसों के संरक्षण के साथ-साथ न्याय और संविधान की जीत है।

इंकलाब (23 अगस्त) के अनुसार उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की नई रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तीन दिनों के अंदर राज्य के सभी मदरसों की आय, संपत्ति और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज सरकार के पास जमा करें। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई 2025 को सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने-अपने जिले में चलने वाले मदरसों के बारे में पूरी जानकारी दें, लेकिन अभी तक सिर्फ तीन जिलों से यह जानकारी प्राप्त हुई है और वह भी अधूरी है।

उर्दू टाइम्स (27 अगस्त) के अनुसार 21 अक्टूबर 2024 को जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सरकार द्वारा देशभर में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक इस मामले का अदालत द्वारा निपटारा नहीं हो जाता तब तक सरकार इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं कर सकती। अदालत के इस आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में सरकार द्वारा इस्लामिक मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इस पर जमीयत उलेमा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके यह आरोप लगाया था कि स्र्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद विभिन्न राज्य सरकारें मदरसों को अपना निशाना बना रही हैं। इस पर 14 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने जमीयत उलेमा को यह निर्देश दिया था कि वह इस संदर्भ में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करे।

जमीयत उलेमा ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके यह आरोप लगाया था कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 में न तो मदरसों के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य

है और न ही गैर-पंजीकृत मदरसों को अवैध कहा जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया था कि शिक्षा का अधिकार (संशोधन) कानून, 2012 में स्पष्ट उल्लेख है कि मदरसे, वैदिक पाठशालाएं और अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं होगा। याचिका में जोर दिया गया था कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और बिना किसी रुकावट के उन्हें संचालित करने का भी अधिकार दिया गया है। उत्तराखंड में सिर्फ मदरसों को ही निशाना बनाना असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जमीयत उलेमा की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की बहस सुनने के बाद उत्तराखंड सरकार को अदालत में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। हेगड़े ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बिना नोटिस के मदरसों को बंद किया जा रहा है। जबकि मदरसा कानून के अनुसार मदरसों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इस याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा था कि इस मामले में जमीयत उलेमा को याचिका दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन्होंने अदालत से संपर्क नहीं किया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्द्र ने हेगड़े से पूछा कि वे प्रभावित पक्ष नहीं हैं तो अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई क्यों करे? इस पर हेगड़े ने कहा कि यह मामला सिर्फ मदरसों को बंद करने का नहीं, बल्कि सरकार की मनमानी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अदालत में याचिका दायर कर सकता है। हमारा अनुरोध है कि अदालत सरकार को मनमानी करने से रोके और उसे कानून का पालन करने का निर्देश दे। हेगड़े ने कहा कि सरकार की ओर से मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वह भारतीय संविधान की धारा 14, 15, 19, 25, 26 और 30 का उल्लंघन है।

हिंदुस्तान (20 अगस्त) ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड सरकार लगातार मुस्लिम विरोधी नीति पर चल रही है। पिछले दिनों राज्य में दरगाहों और मजारों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया गया था। इसके बाद मदरसों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सैकड़ों मदरसों को पंजीकृत नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया। अब राज्य सरकार मुसलमानों की अलग पहचान को मिटाने के लिए विधानसभा में एक अन्य कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत मदरसा कानून को रद्द किया जा रहा है।

16 वर्षीय मुस्लिम लड़की का निकाह जायज?

औरंगाबाद टाइम्स (20 अगस्त) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की के निकाह को वैध घोषित किया है। साथ ही अदालत ने लड़की, उसके बच्चे और उसके 30 वर्षीय पति को संरक्षण दिए जाने के हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

(एनसीपीसीआर) को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर उच्च न्यायालय ने अव्यस्क लड़की और उसके बच्चे को संविधान की धारा 226 के तहत संरक्षण प्राप्त किया है तो इस पर उसे आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

गौरतलब है कि एक 16 वर्षीय लड़की आशियाना ने एक 30 वर्षीय पुरुष जावेद से निकाह किया था। निकाह के बाद उनका एक बच्चा पैदा हुआ था। जावेद के परिजनों ने इसका विरोध किया था। इस पर इस दंपत्ति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से संरक्षण मांगी थी। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि लड़की की आयु 15 वर्ष से अधिक है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उसके साथ निकाह जायज है। एनसीपीसीआर ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आयोग का कहना था कि यह निकाह बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो कानून का उल्लंघन है, इसलिए इसे अवैध घोषित किया जाए। एनसीपीसीआर की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत में तर्क दिया कि 15 वर्षीय लड़की कानूनी और मानसिक रूप से विवाह के योग्य नहीं मानी जाती, इसलिए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उनके इस तर्क को रद्द करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी के लिए उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, बल्कि निकाह के लिए लड़की का रजस्वला होना ही काफी है। आम तौर पर 15 वर्ष की उम्र को निकाह के लिए जायज माना जाता है। उल्लेखनीय है कि बाल विवाह निषेध कानून के तहत लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और यह कानून एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीपीसीआर से पूछा कि जब यह लड़की अपने पति और बच्चे के साथ खुशी से रह रही है तो आपको आपत्ति क्यों है? अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने संविधान के तहत इन्हें संरक्षण प्रदान करने का जो निर्देश दिया है वह सही है।

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति और अधिकारियों के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (31 अगस्त) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की है कि सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने राष्ट्रपति अब्बास समेत फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सभी अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। बता दें कि फ्रांस ने घोषणा की है कि वह सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। अमेरिकी सरकार ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को चेतावनी दी है कि वह इस फैसले के खिलाफ कानूनी युद्ध छेड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का सहारा लेने का प्रयास न करे। अमेरिकी सरकार का दावा है कि विश्व के कुछ देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा के कारण गाजा में युद्धविराम के प्रयासों को भारी धक्का लगा है और हमास ने बंधकों को रिहा करने से इंकार कर दिया है।

महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने अमेरिकी फैसले की निंदा की है और कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रवेश के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, इसलिए फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लेने से रोकना गैर-कानूनी है। अमेरिका को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जा सके। फिलिस्तीन की सरकारी न्यूज एजेंसी 'वफा' के अनुसार राष्ट्रपति महमूद अब्बास के कार्यालय ने कहा है कि हम यह प्रयास करेंगे कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करे और हमें अधिवेशन में भाग लेने

की अनुमति दे, क्योंकि कानूनी तौर पर हम इसके हकदार हैं।

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने पत्रकारों को बताया कि 89 वर्षीय राष्ट्रपति महमूद अब्बास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए आ रहे थे। हम अब देखेंगे कि इस अमेरिकी फैसले का हमारे राष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल पर क्या असर होता है। इसके बाद ही हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा है कि यह जरूरी है कि सभी देशों के नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लें। इनमें फिलिस्तीन भी शामिल हैं।

दूसरी ओर, इजरायल ने अमेरिकी फैसले का स्वागत किया है और इसे साहसिक कदम बताया है। वहीं, फ्रांस का कहना है कि अमेरिका ने इस तरह का प्रतिबंध लगाकर एक गलत कार्रवाई की है। उसे किसी भी व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यूरोपीय यूनियन के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन एक ऐसा वैश्विक मंच है, जिसमें सभी को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए और इस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। अमेरिका का कहना है कि कुछ फिलिस्तीनी प्रतिनिधि सुरक्षा कारणों से वीजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। जबकि यूरोपीय यूनियन के छह देशों ने कहा है कि अमेरिका को इस तरह का प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। फिलिस्तीनियों को विश्व समुदाय में अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है।

अफगानिस्तान में मदरसों में लड़कियों को भेजने पर प्रतिबंध

औरंगाबाद टाइम्स (22 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने लड़कियों को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदरसों में न भेजने का फैसला किया है। बताया जाता है कि हाल ही में तालिबान मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। इस बैठक में कुछ मंत्रियों ने जोर देकर कहा था कि लड़कियों को मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए भेजा जाना गलत नहीं है और इस संबंध में विश्व के विभिन्न देशों द्वारा तालिबान सरकार पर जो दबाव डाला जा रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस पर तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कहा कि रशीदुन खिलाफत के दौर में भी महिलाओं को मस्जिदों में जाने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि हजरत आइशा और हजरत फातिमा ने भी कभी किसी मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं की। रसूल पाक ने भी किसी महिला को मदरसों में जाकर धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी है।

गौरतलब है कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता संभाली थी। इससे पहले अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी काबुल छोड़कर विदेश भाग गए थे। इसके बाद

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने महिलाओं की शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में मेडिकल कॉलेजों व नर्सिंग स्कूलों में भी महिलाओं और लड़कियों के दाखिले पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के किसी भी अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त तालिबान सरकार सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के जाने और सार्वजनिक वाहनों में उनकी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। अफगानिस्तान में संगीत पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। हाल ही में एक दर्जन से अधिक लोगों को वाद्ययंत्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तालिबान ने घोषणा की है कि जो महिला शरिया का उल्लंघन करेगी उसे सार्वजनिक तौर पर कोड़े मारने की सजा दी जाएगी।

उर्दू टाइम्स (22 अगस्त) के अनुसार हिबतुल्लाह अखुंदजाद ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि किसी भी महिला को इस्लामी मदरसों में दाखिल न किया जाए, क्योंकि कुछ मदरसों में इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान और अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। बताया जाता है कि मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों ने कुरान व हदीस की आयतें भी पेश की थीं, जिनमें कहा गया है कि लड़के और लड़कियों को समान रूप से शिक्षा देना जरूरी है। इस पर अखुंदजादा ने कहा कि इस्लाम में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी महिला या लड़की को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वे घर से बाहर जाती हैं तो उनके साथ कम-से-कम एक पुरुष होना चाहिए। अफगानिस्तान में विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और दुकानों में जो महिलाएं काम करती थीं उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है।

बांग्लादेश में हुए नरसंहार की माफी मांगने से पाकिस्तान का इंकार

उर्दू टाइम्स (25 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश में 1971 में हुए नरसंहार एवं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले पर माफी मांगने से इंकार कर दिया है। बांग्लादेश के लगभग सभी दलों ने मांग की थी कि 1971 में बांग्लादेश में हुए नरसंहार और बंगालियों के उत्पीड़न की घटनाओं के लिए पाकिस्तान को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इशाक डार ने ढाका में बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए डार ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न समस्याओं का समाधान हो चुका है। हमें बाकी समस्याओं के समाधान का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोनों देश अब पुरानी कटुता भुलाकर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं।

गौरतलब है कि जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है तब से उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ गया है। 1971 के

सैन्य सहयोग से जुड़े हुए हैं। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों देशों के बीच वीजा जारी करने को लेकर उदार नीति अपनाई जाए। इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने 500 बांग्लादेशी छात्रों को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देने पर सहमति व्यक्त की है।

बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बंगालियों के नरसंहार पर पाकिस्तान का माफी न मांगना दोनों देशों के संबंधों में रुकावट डाल सकता है। इशाक डार ने संवाददाताओं को माफी के सवाल पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और उन्होंने इस मामले को टाल दिया। हालांकि, बांग्लादेशी ऐसा नहीं मानते हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश की मुक्ति के अभियान के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हजारों बंगालियों को बर्बरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया था, इसलिए बांग्लादेश की जनता में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (26 अगस्त) के अनुसार 13 वर्ष के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने बांगलादेश का दौरा किया है। इससे पहले पाकिस्तान के व्यापार मंत्री ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर सहमति बनी थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के मंत्रियों का बांग्लादेश दौरा सफल रहा है और दोनों देश आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौते व्यापार, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और

चट्टान (26 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने संवाददाताओं को बताया कि बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि वह 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगालियों पर किए गए अत्याचार पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच संपत्ति के विभाजन और बांग्लादेश के हिस्से की विदेशी मुद्रा को बांग्लादेश के हवाले करने के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ है। तौहीद हुसैन ने कहा कि सार्वजनिक माफी के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

गौरतलब है कि फरवरी 1974 में लाहौर में इस्लामिक देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को भी आमंत्रित किया गया था। तब तक बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिल चुकी थी, लेकिन बांग्लादेश के दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने 1971 की घटनाओं पर माफी नहीं मांगी। इसके जवाब में बांग्लादेश ने धमकी दी थी कि वह 1971 के युद्ध में बंदी बनाए गए 195 पाकिस्तानियों के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा चलाएगा। अप्रैल 1974 में पाकिस्तान,

इसलिए पाकिस्तान को इसे सांकेतिक प्रश्न बनाने के बजाय उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए।

बांग्लादेश और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में पाकिस्तान ने कहा था कि अगर पाकिस्तानी सेना ने युद्ध अपराध किया है तो पाकिस्तान सरकार उसकी निंदा करती है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश की जनता से अपील की थी कि वे इतिहास को भूलकर आगे बढ़ें। इसके बाद 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था, लेकिन अविभाजित पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति में बांग्लादेश को हिस्सा देने से इंकार कर दिया था।

बीबीसी का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा अपराधों की माफी न मांगने को लेकर बांग्लादेश का दृष्टिकोण अलग है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के एक पूर्व उच्चायुक्त अशरफ कुरैशी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते में भी इसका उल्लेख किया गया था, लेकिन बांग्लादेशी इससे संतुष्ट नहीं हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सचिव का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता तब तक बांग्लादेश की जनता संतुष्ट नहीं होगी। जमात-ए-इस्लामी के एक नेता ने कहा कि इस समय बांग्लादेश में भारत समर्थक सरकार नहीं है,

कौमी भारत (26 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी मूल के लाखों लोगों और बांग्लादेश में रहने वाले उर्दूभाषी लोगों की नागरिकता की समस्या अभी तक बनी हुई है। दोनों देशों की सरकारें उन्हें राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पासपोर्ट लेने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के कराची और अन्य भागों में पांच लाख से अधिक बंगाली मूल के लोग रह रहे हैं। ये लोग 1971 से पहले अविभाजित पाकिस्तान में रहने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान आए थे। अब उनकी तीन पीढ़ियां पाकिस्तान की भूमि पर पैदा हो चुकी हैं और वे पाकिस्तानी संस्कृति में घुल मिल गए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार उन्हें नागरिकता देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं, बांग्लादेश में रहने वाले उर्दूभाषियों की संख्या 15 लाख से भी अधिक बताई जाती है। ये मूलतः बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना आदि क्षेत्रों के हैं। भारत विभाजन के समय ये लोग अपने घरों से भागकर पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। तब से ये वहीं पर रह रहे हैं। बांग्लादेशियों को यह शिकायत है कि इन लोगों ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लाभाषी लोगों पर अत्याचार किए थे। बांग्लादेश सरकार ने अभी तक इन्हें बांग्लादेश की नागरिकता प्रदान नहीं की है और इन्हें मुख्य धारा से अलग रखा जा रहा है। इनके लिए सरकारी नौकरियों और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के दरवाजे बंद हैं। ■

पाकिस्तान में आतंकवाद की ज्वाला जोरों पर

बीबीसी उर्दू (2 सितंबर) के अनुसार क्वेटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी) की रैली में हुए एक आत्मघाती बम धमाके में कम-से-कम 15 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर ने कहा कि पूरे बलूचिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और प्रांत के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे घायलों को भर्ती करने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे अधिक-से-अधिक संख्या में रक्तदान करें ताकि घायलों की जान बचाई जा सके। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है।

पुलिस के अनुसार यह धमाका बीएनपी के संस्थापक और बलूचिस्तान के प्रथम मुख्यमंत्री सरदार अताउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित एक रैली के समापन के समय हुआ। इस सभा में बीएनपी के अध्यक्ष सरदार अख्तर मेंगल, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के अध्यक्ष महमूद खान अचकजई, नेशनल पार्टी के महासचिव मीर कबीर अहमद और अवामी नेशनल पार्टी के नेता असगर खान अचकजई ने भाग लिया था। अख्तर खान मेंगल ने घोषणा की है कि पूरे बलूचिस्तान में तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। यह रैली पाकिस्तान समर्थक बलूच पार्टियों की ओर से आयोजित की गई थी।

एक अन्य समाचार के अनुसार आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा की बन्नू छावनी पर हमला किया। इस हमले में कम-से-कम छह सैनिक मारे गए। जबकि जवाबी कार्रवाई में सेना ने सात आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तानी सेना के जन संपर्क विभाग (आईएसपीआर) ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे एक पड़ोसी देश का हाथ है।

उर्दू टाइम्स (27 अगस्त) के अनुसार आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के हंगू जिले में पाकिस्तान के फ्रंटियर कांस्टेबुलरी पर हमला किया। इस हमले में पांच सुरक्षाकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद सेना ने इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है।

जंग (2 सितंबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में एक यात्री वाहन पर हुए हमले में कम-से-कम छह लोग मार गए हैं। आईएसपीआर ने पुष्टि की है कि मरने वाले सभी लोग सुन्नी संप्रदाय से संबंधित थे। जबकि हमलावरों का संबंध शिया आतंकवादी संगठन लशकर-ए-फातिमीन से बताया जाता है। दोनों संप्रदायों के बीच संभावित झड़पों को रोकने के लिए सेना ने इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगाकर सड़कों को सील कर दिया है। सभी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने घरों से बाहर न निकलें, वरना उन्हें गोली मार दी जाएगी।

मलेशिया में कड़े इस्लामिक कानून

उर्दू टाइम्स (21 अगस्त) के अनुसार मलेशिया सरकार ने देश में नया कानून लागू किया है। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पांचों वक्त की नमाज अदा नहीं करेगा तो उसे दो साल की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त उसे एक लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की आलोचना की है और कहा है कि मलेशिया भी सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देशों के रास्ते पर चल रहा है। इससे पहले मलेशिया के कानून में यह व्यवस्था थी कि यदि कोई व्यक्ति तीन दिन तक नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे छह महीने की सजा और एक हजार रिंगित (मलेशियाई मुद्रा) का जुर्माना हो सकता है। अब इस कानून को और सख्त बना दिया गया है। इस संबंध में एक विशेष धार्मिक पुलिस गठित की गई है, जो विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर नमाज न पढ़ने वालों को गिरफ्तार करेगी। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने मलेशिया की जनता से अपील की है कि वे इस्लाम के आदेशों का उल्लंघन करने वालों और नमाज न अदा करने वालों के बारे में सरकार को सूचना दें। मलेशिया में दोहरी न्याय व्यवस्था है। आम लोगों के लिए सिविल कानून और मुसलमानों के लिए शरिया कानून है, जो 66 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त मलेशिया में पैगंबर की तौहीन के आरोप में भी कम-से-कम 10 वर्ष कैद की व्यवस्था है।

पश्चिम एशिया

इजरायल द्वारा हूती प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल का खात्मा

एतेमाद (31 अगस्त) के अनुसार यमन की हूती सरकार ने पुष्टि की है कि तीन दिन पहले एक इजरायली हवाई हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी समेत 12 मंत्री मारे गए हैं। अल-रहावी अगस्त 2024 से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। सरकारी बयान के अनुसार यह हमला तब किया गया जब हूती मंत्रिमंडल की एक बैठक चल रही थी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने साना में हुए हमले में हूती विद्रोहियों के अनेक महत्त्वपूर्ण सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है। इसके अतिरिक्त हूती सरकार के संपूर्ण मंत्रिमंडल का भी खात्मा कर दिया गया है।

गौरतलब है कि हूती विद्रोहियों का संबंध ईरान से है। 10 साल पहले उन्होंने यमन पर हमला करके वहां की सरकार को राजधानी साना से भागने पर मजबूर कर दिया था। तब से यमन की मान्यता प्राप्त सरकार का संचालन सऊदी अरब से किया जा रहा है। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने हूतियों पर हमला किया था, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। पिछले दो सालों से हूतियों ने लाल सागर की नाकेबंदी कर रखी है। उनका दावा है कि उन्होंने यह नाकाबंदी गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ की है। तब से हूती विद्रोही लगातार इजरायल और उसके सहयोगी देशों के जलयानों पर हमले कर रहे हैं। हूतियों के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी घोषणा के अनुसार "शहीदों का खून ईंधन का काम करेगा और इससे हमें निर्धारित रास्ते पर चलने में नई ऊर्जा मिलेगी। हम यमन के लोग फिलिस्तीन के दबे कुचले लोगों और पूरी दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमियों से कहना चाहते हैं कि हम पहले की तरह गाजावासियों का समर्थन करते रहेंगे। हम सभी खतरों से निपटने के लिए अपनी क्षमता में बढ़ोतरी करेंगे।"

इंकलाब (31 अगस्त) के अनुसार इजरायल ने दावा किया है कि उसने गाजा में एक हवाई हमले में हमास के सशस्त्र विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा की हत्या कर दी है। हमास ने भी इसकी पुष्टि कर दी है।

रोजनामा सहारा (31 अगस्त) के अनुसार इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि

उसने गाजा में इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के एक वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद अब्द अल-अजीज अबू जुबैदा की हत्या कर दी है। अबू जुबैदा इस क्षेत्र में आईएसआईएस के प्रमुख के तौर पर काम करता था। गौरतलब है कि इजरायल इससे पहले हमास और हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडरों का सफाया कर चुका है।

रोजनामा सहारा (31 अगस्त) के अनुसार अमेरिका ने दावा किया था कि कतर और सऊदी अरब के प्रयास से हिजबुल्लाह निःशस्त्रीकरण के लिए तैयार हो गया है। उसके कैडर को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दक्षिणी लेबनान में एक आर्थिक जोन बनाया जा रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने पत्रकारों को बताया कि लेबनान को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि देश में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी देशों ने लेबनान में पूंजी निवेश करने का आश्वासन दिया है।

उर्दू टाइम्स (27 अगस्त) के अनुसार हिजबुल्लाह के प्रमुख शेख नईम कासिम ने इस खबर का खंडन किया है कि हिजबुल्लाह निःशस्त्रीकरण के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के हथियार लेबनान की रक्षा के लिए जरूरी हैं। हम उन हथियारों को नहीं छोड़ेंगे, जो हमारी रक्षा करते हैं। ये हथियार हमारी इज्जत और हमारी भूमि को आक्रांताओं से बचाते हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान सरकार उन पर निःशस्त्रीकरण के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। नईम कासिम ने कहा कि लेबनान सरकार द्वारा हिजबुल्लाह के निःशस्त्रीकरण के लिए इसलिए जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उस पर अमेरिका और इजरायल का दबाव है। अगर हिजबुल्लाह का निःशस्त्रीकरण किया गया तो इससे सिर्फ इजरायल को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि लेबनान की समस्याओं के लिए अमेरिका और इजरायल जिम्मेवार हैं। लेबनान के संकट को हल करने के लिए यह जरूरी है कि लेबनान पर इजरायली हमले फौरन बंद हों। कासिम ने कहा कि इजरायल उन क्षेत्रों से अपनी सेना हटाए, जिन पर उसने कब्जा कर रखा है। लेबनानी कैदियों को मुक्त किया जाए। इसके बाद ही देश के पुनर्निर्माण की शुरुआत की जा सकती है।

अवधनामा (28 अगस्त) के अनुसार ईरान हूती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। इससे इजरायल की चिंता बढ़ गई है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि हूतियों के इजरायल पर मिसाइल दागने से इजरायल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को भारी नुकसान हुआ है और उसे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। इजरायल यह सोच भी नहीं सकता था कि यमन के हूती विद्रोही उसके क्षेत्र पर हमला करने के लिए अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे।

ओआईसी द्वारा संयुक्त राष्ट्र से इजरायल की सदस्यता रद्द करने की मांग

अवधनामा (27 अगस्त) के अनुसार इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की सदस्यता को रद्द किया जाए, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र के नियमों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। सऊदी अरब में ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में इजरायल द्वारा गाजा पर कब्जे और वहां की फिलिस्तीनी जनता को बेघर करने के प्रयास को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि अरब देश किसी भी इजरायली साजिश को हर कीमत पर विफल बनाएंगे। इस सम्मेलन में ग्रेटर इजरायल के

बारे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की घोषणा पर भी चिंता प्रकट की गई और कहा गया कि यह अरब देशों की स्वतंत्रता पर इजरायल का सीधा हमला है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान से साफ है कि इजरायल अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अरब देशों को हड़पना चाहता है। यह अंतरराष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है।

इस बैठक में दुनियाभर के मुसलमानों से अपील की गई कि वे इजरायल के इरादों को विफल बनाने के लिए एकजुट हों और फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी व स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की मांग का समर्थन करें। इस सम्मेलन में आरोप लगाया गया कि इजरायली सेना द्वारा गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का अभियान चलाया जा रहा है। इजरायली सेना गाजा के पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री, पानी और मेडिकल सुविधाओं की आपूर्ति में लगातार बाधा डाल रही है। इस बैठक में इजरायल से मांग की गई कि वह सभी सैन्य कार्रवाइयों को तुरंत बंद करे और गाजा की नाकेबंदी को समाप्त करे ताकि वहां की जनता को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। इस बैठक में मिस्र, कतर और अमेरिका की ओर से युद्धविराम के प्रयासों का समर्थन किया गया। इस बैठक में यह भी मांग की गई कि इजरायली सेना सभी अनाधिकृत क्षेत्रों को फौरन खाली कर दे। इसके बाद मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब देशों का एक सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें अरब और अन्य इस्लामी देश गाजा की सहायता और उसके पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करें।

उर्दू टाइम्स (28 अगस्त) ने कहा है कि इजरायल को ओआईसी से कोई भय नहीं है। वह जानता है कि विश्व के 57 मुस्लिम देशों में गंभीर आपसी मतभेद हैं और वे सर्वसम्मति से इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने के लिए सहमत नहीं हो सकते। इजरायल को पता है कि ओआईसी के पास संयुक्त सैन्य शक्ति या आर्थिक शक्ति नहीं है, जो इजरायल के लिए किसी तरह का खतरा बन सके। अरब देशों ने आज तक इजरायल के खिलाफ बयानबाजी के अतिरिक्त कोई कदम नहीं उठाया है। समाचारपत्र ने आरोप

लगाया है कि ओआईसी के कई देश सार्वजनिक मंच पर इजरायल की निंदा करते हैं, लेकिन हकीकत में इन देशों के इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। तुर्की इजरायल के बारे में लंबे-चौड़े दावे करता है, लेकिन उसका दूतावास अभी भी तेल अवीव में मौजूद है। तुर्की ने 2024 में इजरायल से व्यापारिक संबंध तोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन गुप्त रूप से इन दोनों देशों के बीच व्यापार का सिलसिला जारी रहा। इजरायल के साथ चल रहे व्यापार में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के बेटे का भारी योगदान है। उनकी जलयान कंपनी इजरायल को लगातार वस्तुओं की सप्लाई कर रही है।

हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया था कि अजरबैजान मिस्र के नाम पर इजरायल को गैस और पेट्रोल की सप्लाई कर रहा है। हालांकि, पाकिस्तान खुले तौर पर इजरायल को मान्यता नहीं देता, लेकिन उसने आज तक इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ईरान की अपील के बावजूद पाकिस्तान ने उसे हथियारों की सप्लाई नहीं की, बल्कि ईरान के साथ उसकी हमदर्दी सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रही। सऊदी अरब, कतर और कुवैत के इजरायल से संबंध किसी से छिपे नहीं है। मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे मुस्लिम देशों के इजरायल के साथ राजनयिक संबंध हैं। यही कारण है कि इजरायल न तो ओआईसी के बयानों से डरता है और न ही वह अपने एजेंडे में किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए तैयार है।

इसी समाचारपत्र में 27 अगस्त के अंक में प्रकाशित एक समाचार में कहा गया है कि इस्तांबुल में आयोजित एक सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के अध्यक्ष हबीब सालेम सक्काफ अल-जाफरी ने सभी मुस्लिम देशों से मांग की कि वे इजरायल के साथ अपने सभी संबंधों को तोड़ लें और एकजुट होकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर यह दबाव डालें कि वह गाजा में सैन्य कार्रवाई को तुरंत बंद करने का प्रयास करे।

कौमी भारत (26 अगस्त) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि अरब देशों के शासक गाजा के पीड़ितों के बारे में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर ये देश गंभीर होते तो ये अमेरिका को तेल की सप्लाई बंद कर देते। खास बात यह है कि इस अधिवेशन में इजरायल को धमकियां देने वालों में ईरान भी शामिल है। चाहे इसे कोई बुरा माने या भला, लेकिन सच्चाई यही है कि ईरान चाहता है कि गाजावासी अपना युद्ध स्वयं लड़ें। हालांकि, विरोध करने वाले संगठनों को ईरान द्वारा सहायता दी जा रही है, लेकिन उसे स्वयं इजरायल पर हमला करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान ने इजरायल के खिलाफ जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वे काफी पुराने थे। हमने जानबूझकर अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। ईरानी रक्षा मंत्री के इस दावे से यह सवाल पैदा होता है कि क्या वे हथियार सिर्फ सजाने के लिए हैं? सच्चाई यह है कि अरब देश इजरायल की गोद में बैठे हुए हैं। वे भला यहूदियों का नुकसान क्यों करेंगे? दुनियाभर के मुसलमानों का भाईचारा सिर्फ एक धोखा है।

ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़े

रोजनामा सहारा (27 अगस्त) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने ईरान के राजदूत को अपने देश से निष्कासित करने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान द्वारा ऑस्ट्रेलिया में यहूदी नागरिकों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे कि कोई भी विदेशी शक्ति हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे और हमारे नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाले। अल्बनीज ने कहा कि हमने तेहरान स्थित अपने दूतावास को बंद कर दिया है और अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। दूतावास के अन्य कर्मचारियों को दूसरे देश में भेज दिया गया है ताकि वे वहां पर सुरक्षित रह सकें। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि हमने ईरानी संगठन पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा रही है। अल्बनीज के इस ऐलान के बाद ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है।

प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सिडनी में एक यहूदी रेस्टोरेंट और मेलबर्न में एक सुन्नी मस्जिद पर हुए हमले में ईरान से जुड़े आतंकवादियों का हाथ पाया गया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 में इजरायल और हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई नगरों में यहूदियों पर हमले किए गए। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलियाई गुप्तचर एजेंसियों के पास ठोस सबूत मौजूद हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया था कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी राजदूत और दूतावास के अन्य कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर देश छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही तेहरान स्थित ऑस्ट्रेलियाई दूतावास को भी बंद कर दिया गया है।

इंकलाब (27 अगस्त) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया सरकार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अक्टूबर 2023 के बाद ऑस्ट्रेलिया में ईरान पोषित आतंकवादियों ने यहूदियों के घरों, स्कूलों, वाहनों और उनके उपासना स्थलों पर हमले किए हैं। इन हमलों में कई यहूदी मारे गए और उनकी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया।

कौमी भारत (28 अगस्त) के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में दो दिन पहले यहूदियों के एक उपासना स्थल को निशाना बनाया गया था। इस संबंध में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस का आरोप है कि तीन नकाबपोशों ने यहूदी उपासना स्थल में घुसकर उसमें आग लगा दी। इसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम यूनिस अली यूनिस बताया जाता है। अदालत ने उसे एक सप्ताह के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

रोजनामा सहारा (30 अगस्त) के अनुसार फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। ईरान ने इसकी आलोचना करते हुए घोषणा की है कि अगर उस पर दोबारा प्रतिबंध लगाए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इन तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित किया है कि वे 'स्नैपबैक मैकेनिज्म' को फिर से सक्रिय कर रहे हैं। इसके तहत ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बता दें कि 2015 में इन देशों द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में इसे हटा लिया गया था। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की निगरानी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान अपने यूरेनियम भंडारों में लगातार वृद्धि कर रहा है। इससे वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है।

सियासत (30 अगस्त) के अनुसार अमेरिका ने इन तीनों देशों द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत किया है।

कौमी तंजीम (28 अगस्त) के अनुसार आईएईए ने दावा किया है कि ईरान ने एजेंसी द्वारा भेजी गई जांच टीम को अपने परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी है। आईएईए ने कहा कि इससे समस्या गंभीर हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान इस एजेंसी को सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन वह इस एजेंसी को अपने परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देगा। इससे पहले यह दावा किया गया था कि इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में ईरान के तीन महत्त्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र तबाह कर दिए गए हैं। इन हमलों के बाद ईरान ने आईएईए के निरीक्षकों को वापस भेज दिया था।

उर्दू टाइम्स (25 अगस्त) के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने स्पष्ट किया है कि ईरान किसी भी विदेशी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य के सामने नहीं झुकेंगे। हमें अमेरिका से वार्ता करने में कोई लाभ नहीं दिखाई देता। अमेरिका और यूरोपीय देशों का कहना है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को सैन्य हथियारों के निर्माण में इस्तेमाल करने से इंकार करता रहा है। हालांकि, वह परमाणु हथियारों को लगातार विकसित कर रहा है। ईरान की बढ़ती हुई परमाणु शक्ति विश्व शांति के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि ईरान पर सख्ती से पुराने प्रतिबंध लागू किए जाएं।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने घोषणा की है कि ईरान चीन के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में

रुचि रखता है। हाल ही में पेजेश्कियान ने चीन का दौरा किया था। उनके इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ सामरिक और रक्षा क्षेत्र में संबंध बढ़ाना चाहते हैं।

सऊदी अरब में 20 हजार घुसपैठिए गिरफ्तार

इंकलाब (1 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब में पिछले एक सप्ताह में 20 हजार से अधिक घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां 21 अगस्त से 27 अगस्त के बीच की गई हैं। सऊदी गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निवास नियमों के उल्लंघन के आरोप में 12,891 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि 3,888 लोगों को अवैध रूप से सऊदी सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं, 3,540 लोगों को श्रम संबंधी मामलों में गिरफ्तार किया गया है। सरकारी बयान के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में से 50 प्रतिशत यमनी, 49 प्रतिशत इथियोपियाई और एक प्रतिशत अन्य देशों के निवासी हैं। 22 लोगों को सऊदी अरब से पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। जबकि 16 लोगों को सऊदी अरब में अवैध रूप से शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

सरकारी बयान में कहा गया है कि इस समय 28 हजार से अधिक घुसपैठिए सरकारी हिरासत में हैं। गृह मंत्रालय की सूचना के अनुसार 21 हजार घुसपैठियों को संबंधित देशों के दूतावासों को सौंपा गया है ताकि वे उन्हें उनके देश भेज सकें। इस अवधि में 12 हजार लोगों को सऊदी अरब से निष्कासित भी किया गया है। उन पर भविष्य में सऊदी अरब में दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

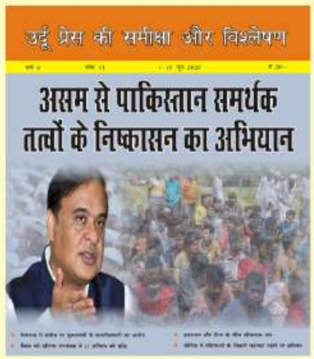

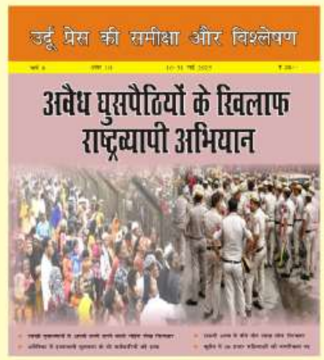

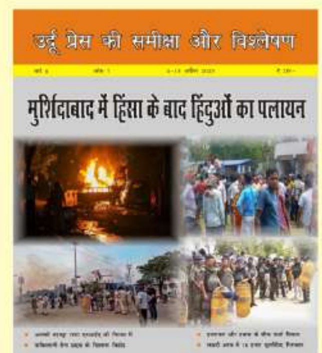

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in